भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 939

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

सीमांत किसानों को ऋण स्वीकृति में अनियमितताएं

939. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए सहकारी वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष-वार कितने सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की मंजूरी में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों, जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान ट्यूबवेल लगाने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा ऋण प्रदान किया गया है, की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	किसानों की संख्या
2021-22	2,296
2022-23	3,047
2023-24	2,205

नाबार्ड ने सूचित किया है कि उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की स्वीकृति में आरआरबी और सहकारी बैंकों के मामले में किसी अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****